

मंजू देवी बनाम स्टेट
प्रकरण संख्या 276/2025 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामिल में
जारी हुये

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज

29.07.
2025

पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार राजस्व पल्लू ने रिपोर्ट पेश की। वकूलाए फरिकैन उपस्थित। वकूलाए फरिकैन की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड व रिपोर्ट तहसीलदार पल्लू से जाहिर होता है कि वादीया का सही नाम मंजू देवी पत्नी गाडूराम पत्नी महेन्द्रसिंह जाति राईका निवासी राईका वाली ढाणी है। अतः वाद वादीया डिक्री करते हुए रोही मौजा मोटेर के ख.नं. 791 की 3.819 है. सांझा खाता की भूमि में दर्ज वादीया का नाम मन्जू पुत्री गाडूराम जाति राईका निवासी मोटेर के स्थान पर मंजू देवी पुत्री गाडूराम पत्नी महेन्द्रसिंह जाति राईका निवासी राईका वाली ढाणी तहसील रावतसर दुरुस्त किये जाने की घोषणा की जाती है तथा शेष अंकन जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 29-7-2025 को सरे ईजलास सुनाया गया।

सहायक क्लर्क
सुपरगण्ड अधिकारी
रावतसर

